<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-04/2019/2588/65-2-2018-12(विविध)/2010</u>

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2019

विषय- दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना के अन्तर्गत पात्रता की परिधि में आने वाले लाभार्थियों के आवेदन पत्र को ऑनलाइन फीड कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि नि:शक्तजन को उनके भरण-पोषण अनुदान दिये जाने हेतु प्रकीर्ण संख्या-1279/65-2-2016-12(विविध)/2010 दिनांक 07-10-2016 द्वारा उत्तर प्रदेश में नि:शक्तजन को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान नियमावली, 2016 प्रख्यापित की गयी है। समाज कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3/2016/579/26-2-2016-100(02)/2007 दिनांक 29-02-2016 द्वारा वृद्धावस्था पेंशन/पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन)/विकलांग भरण-पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु ऑनलाइन प्रणाली पर किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2 समाज कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 29-02-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश में नि:शक्तजन को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान नियमावली, 2016 दिनांक 07-10-2016 के नियम-9 में प्राविधानित अनुदान हेतु आवेदन की प्रक्रिया के विद्यमान नियम को कार्यालय ज्ञाप संख्या-2037/65-2-2017-12(विविध)/2010 दिनांक 14-12-2017 (प्रति संलग्न) द्वारा संशोधित करते हुये दिव्यांगता पेंशन के लिये ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की गयी है तथा उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14-12-2017 द्वारा आवेदक को आवेदन की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

3 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे दिव्यांग लाभार्थी जो पात्रता की परिधि में आते हैं परन्तु अपना ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, उनसे हार्ड कॉपी में आवेदन प्राप्त करने एवं उक्त आवेदन पत्रों को ऑनलाइन फीड कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये उक्त प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिये निर्देशित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-04/2019/2588(1)/65-2-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त मण्डलीय उपनिदेशक/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(5) समाज कल्याण अनुभाग-2

(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

(7) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1/3

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)

संयुक्त सचिव।